



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी 2018—माघ 26, शक 1939

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार” ई-5 पर्यावरण परिसर अरेठ कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्र. 470-वि.यो. 496-नग्रानि-2018.—रत्नाम विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि रत्नाम विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क्रमांक 23 सन् 1973), सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

- आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
- कलेक्टर, जिला रत्नाम
- उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रत्नाम
- आयुक्त, नगरपालिक निगम, रत्नाम.

### अनुसूची

| क्र. | विकास योजना (नगर का नाम) | विकास योजना में भूमि उपयोग     | अध्याय | विकास योजना की सारणी/कंडिका/क्रमांक | सारणी/कंडिका/कॉलम का सरल क्रमांक | उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग |
|------|--------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| (1)  | (2)                      | (3)                            | (4)    | (5)                                 | (6)                              | (7)   |
| 1    | रत्नाम विकास योजना-2021. | सार्वजनिक एवं अद्वैत-सार्वजनिक | 4      | 4-सा-6                              | 4                                | गैर प्रदूषणकारी उद्योग**  |

| (1) | (2) | (3)  | (4) | (5)    | (6) | (7)   |
|-----|-----|------|-----|--------|-----|---|
|     |     | कृषि | 4   | 4-सा-6 | 8   | सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे। |

**व्याख्या—**

i \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म. प्र. शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

ii \*\*गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म. प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii \*\*\*कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

**टीप:**—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वाति मीणा नायक, संचालक।